21/2014 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 384077

न्यास पत्र

हम कि श्री सुरेश चन्द, पुत्र श्री भगौती, ग्राम– छपियों, पो0– भिंगारी बाजार, जिला– देवरिया (उ0 प्र0) का निवासी हूँ । हम मुकिर जनहित के कार्यों को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ । हम मुकिर के मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन लगा रहता है । हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो । समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय । मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उप–लब्ध कराया जाय । हम मुकिर विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर जनहित के कार्यों का सम्पादन निरन्तर करता रहता हूँ । जनहित के आवश्यक कार्यों को संचलित कर उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसके सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी "न्यास" की स्थापना की जा रही है । हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/–(दस हजार) रुपये का एक न्यास कोस स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोस में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था हम मुकिर के द्वारा की जायेगी ।

Anand

100/ 27/11/14

क्र० 3232

सुरेश चन्द S/O मंगोली

ग्राम हथिया, तप्पा- हवेली

परगना- सलेमपुर देवरिया

उप कोषागार
स्टाम्प
★ 21 NOV 2014 ★
3504
सलेमपुर देवरिया

श्यामधन

क्र० पु० 104 प्रति पु० 2d

श्री/श्रीमती सुरेशचन्द्र पुत्र/पत्नी मंगोली

हा० हथिया पो० [illegible] तप्पा हवेली जि० देवरिया

हा० भाटपाररानी जि० देवरिया ने यह लेखपत्र कार्या० उ० नि० भाटपाररानी जि० देवरिया में

आज दि० 29/11/14 ई० मध्य समय 3/4 बजे दिन के निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

शुल्क 700

उप निबन्धक
भाटपाररानी
29/11/14

Sohanand

इस लेखपत्र के लेखन व सम्पादन को
तथा समस्त धनराशि पूरा..........
पूर्ण/लेखपत्र में समस्त प्राप्त कर ली

सुरेशचन्द उपस्

स्वीकार किया जिनकी पहचान

श्री/श्रीमती विजय कुशवाहा पुत्र/पत्नी [illegible]

हा० करौंदा [illegible]पुर

पो० भाटपाररानी जि० देवरिया व श्री/श्रीमती [illegible] इन्द्र भाष्कर [illegible] द्विवेदी पाण्डेय [illegible] [illegible]

ने [illegible] भाटपाररानी जि० देवरिया ने की।

उप निबन्धक
भाटपाररानी
29/11/14

Sohanand

विजय कुशवाहा

AR 992733

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी ।

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।

6. ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी ।

7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा। जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी ।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा । इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा ।

9. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों ।

10. ट्रस्ट से सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय देवरिया को प्राप्त है ।

11. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रू.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50 | INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 992732

13. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना ।
14. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करगा ।

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त व अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं ऋण राशियाँ निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा ।

9. ट्रस्ट के अभिलेख :

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा । मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे की मुख्य ट्रस्टी उचित समझें अधिकृत होंगे ।
2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि, भवन एवं मोटर वाहन इत्यादि का क्रय कर सकेंगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगें ।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992731

3. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समर्थ पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय-समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी-गैरसरकारी विभाग तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना ।
4. ट्रस्ट मण्डल की बैठक को आयोजित तथा बैठक को स्थगित करना ।
5. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के साथ ही साथ ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धक के रूप में कार्य करना ।
6. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना ।
7. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना ।
8. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल की सदस्यों को देना ।
9. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना ।
10. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों हस्ताक्षरित करना ।
11. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरोध में की जान वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना ।
12. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य धिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना ।

11-14

AR 992730

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्स्टीच्यूट नियामक संस्था या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पर नियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानों के क्रम में उसकी प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा ।
8. ट्रस्ट की कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बीलों व भाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा ।

ख– ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी । उक्तावासी बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्ध/सचिव या प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे । वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी । कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है ।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का वजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा ।

7. मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी व प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AR 992729

5– ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट की गठन एवं संचालन–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी के नामित करने का अधिकार होगा । मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीहत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। उक्त रूप में हम मुकिर के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में अगला मुख्य ट्रस्टी नामित अथवा वसीयत के माध्यम से नियुक्त किये बिना हम मुकिर की मृत्यु होने की दशा में तत्कालीन ट्रस्ट मण्डल में से योग्य एवं ट्रस्ट के लिए हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के द्वारा ट्रस्ट का "मुख्य ट्रस्टी" चयनित किया जायेगा ।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति/बीमारी/कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा । किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वच्छता से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति की किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा । ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्टमण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा । ट्रस्ट के पदाधिकारी के निर्वाचन में मूलतः आम सहमित के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी । यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी के देख रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन कराये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा ।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्त की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी ।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति जो मुख्य ट्रस्टी के परिवार का ही होगा, ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992728

5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना ।
6. ट्रस्ट की सम्पति का देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना ।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमिता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना ।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थान, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना ।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यो को करना ।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत कर छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना ।
12. ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के संगठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना ।
13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनिकी/गैर तकनिकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता एवं सम्बन्धता के सबन्ध में सम्बन्धित पदाधिकारी पर नियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रू.50 भारत FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992727

28. पंचायत राज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ।
29. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास की माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर–सरकारी यन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना ।
30. देश अथवा विदेश में स्थित सरकारी तथा गैर–सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तन्त्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना ।
31. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना ।
32. नशा उन्मूलन शिविर/निःशुल्क कार्यशाला, परामर्श केन्द्र की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र के नागरिकों को नशे से होने वाली हानि एवं कैंसर इत्यादि बीमारियों के प्रति जागरुक करना तथा मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करना।
33. मूकबधिर, श्रवणह्रास, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित एवं शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, शिक्षण सामग्री, शिक्षण केन्द्र, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र आदि का प्रावधान एवं संचालन करना और इनके लिए ट्राइसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र एव अन्य उपकरण उपलब्ध कराना व अन्य उपाय करना, जिससे उनका जीवन निर्वहन आसान हो सके। सरकार की विभिन्न योजनाओं का विकलांग व्यक्तियों को लाभ दिलवाना।

5– ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना ।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाइयों को सुचारुक व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना ।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992726

21. विभिन्न प्रकार के खेल; जैसे– योग, जिम्नास्टिक, जुडो –कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना ।

22. जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता / प्रशिक्षण, दवा / किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना ।

23. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना । निःशुल्क टीकाकरण तथा अन्धता निवारण, मोतियाबिन्द आपरेशन, नेत्र–ज्योति शिविर का आयोजन करना और चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना ।

24. एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय / पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों व चिकित्सालय की स्थापना करना ।

25. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेय जल, शौचालय, नाली; सड़क, खड़न्जा पिथ, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना । सरकारी–गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना ।

26. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना ।

27. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992725

11. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना ।
12. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, ब्याखान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना ।
13. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क ब्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना ।
14. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र, अनाथालय एवं वृद्ध सेवा केन्द्र की स्थापना करना ।
15. समुदायिक का विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ।
16. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना। वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसीनल प्लान्ट) व अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना ।
17. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को जन–जन तक पहुँचाना ।
18. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके; जैसे–युनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
19. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इसके लिए युवाओं को प्रेरित/जागरुक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992724

5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए, तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना ।

6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई चारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना ।

7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता, लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना ।

8. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उनसे होने वाली आय से ट्रस्ट के कार्यों को पूर्ण करना ।

9. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अन्य वर्गों के कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना ।

10. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग / बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रू.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992723

1. श्रीमती चन्द्रावती देवी, पत्नी श्री सुरेश चन्द, ग्राम– छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला–देवरिया (उ0 प्र0)
2. श्री अमित कुमार यादव, पुत्र– श्री सुरेश चन्द, ग्राम–छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला–देवरिया (उ0 प्र0)
3. डॉ0 विनीत कुमार यादव, पुत्र–श्री सुरेश चन्द, ग्राम–छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला–देवरिया (उ0 प्र0)
4. श्री अभिजीत कुमार यादव, पुत्र–श्री सुरेश चन्द, ग्राम–छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला–देवरिया(उ0 प्र0)
5. श्रीमती सीमा यादव, पत्नी–श्री अमित कुमार यादव, ग्राम–छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला– देवरिया (उ0 प्र0)
6. श्रीमती प्रतिभा यादव, पत्नी–श्री विनीत कुमार यादव, ग्राम–छपियाँ, पो0–भिंगारी बाजार, जिला–देवरिया(उ0 प्र0)

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "सुरेश–चन्द्रा सेवा न्यास" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. समाज के आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना ।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना ।
3. नव–युवक, नव युवतियों व छात्र छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना और उनका संचालन करना ।
4. शिक्षा प्रचार–प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षा इत्यादि हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिष्ठान/दुकान व आवास का निर्माण करना ।

3–14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992722

हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यासपत्र को निम्न व निष्पादन कर रहा हूँ –

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"सुरेश–चन्द्रा सेवा न्यास"** होगा जिसे इस "न्यास–पत्र" में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द सम्बोधित किया गया है ।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम– छपियाँ, पो0– भिंगारी बाज़ार, तहसील–भाटपार रानी, जिला–देवरिया में स्थित होगा । उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के लिए इसके अन्य कार्यालय की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा । ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधि पूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा ।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें । हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ । भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुग प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी । हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा । ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निनलिखित है –

Sanand

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 992734

घोषणा

"सुरेश–चन्द्रा सेवा न्यास" की तरफ से हम श्री सुरेश चन्द मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके ।

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1 विजय कुशवाहा S/o वीरबहादुर ग्रा०- करौंदा, पो०- माझीपुर, जिला - देवरिया (उ० प्र०)

2 [illegible]

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

दिनांक

मजमूनकर्ता

लेखक- [illegible]

14–14

दिनांक- 29/11/014

Sd/- 27/11/14 p 3230

आज दिनांक 29-11-2014 को सम्यप्रति पुस्तक सं० IV
खण्ड 05 के पृष्ठ 279/306 क्रम संख्या 21
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
वाराणसी